

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर निर्माण/18894/13-14/वृज3दिनांक:-21/10/13

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा

विषय:-आरटीई वेब पोर्टल पर निजी विद्यालयों द्वारा 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शाला की सामान्य सूचना अपलोड नहीं करने तथा दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रवेश देकर निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से वंचित करने के लिए दोषी विद्यालयों पर नियमानुसार कार्यवाही करने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बीईईओ कार्यालय के अधीन संचालित निजी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आरटीई वेब पोर्टल(dee.raj.nic.in) पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथियों 29 जुलाई से 12 अगस्त एवं 9 सितम्बर से 11 सितम्बर 2013 तक आरटीई एक्ट के प्रावधानान्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शाला संबंधी सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में समाचार पत्रों में भी सूचनाएं प्रकाशित की गई थी। आपके जिले में संचालित निजी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से कतिपय निजी विद्यालयों ने वेब पोर्टल पर समयावधि में सूचनाएं अपलोड नहीं की हैं। ऐसी शालाओं की सूची बीईईओ एवं डीईओ(माध्यमिक) की ऑफिस लॉगइन में उपलब्ध है। इस प्रकार उक्त निजी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा राज्य सरकार एवं विभाग के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना किया जाना प्रतीत हो रहा है। ऐसे निजी विद्यालयों में आरटीई एक्ट के प्रावधानान्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेशित बालकों को राज्य सरकार द्वारा देय पुनर्भरण राशि से वंचित होना पड़ रहा है तथा ऐसे बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से उक्त विद्यालयों ने वंचित कर दिया है।

साथ ही जिन गैर सरकारी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2013-14 में आरटीई एक्ट, 2009 के प्रावधानान्तर्गत निःशुल्क शिक्षा हेतु 25 प्रतिशत की सीमा तक दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश आरटीई के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए दिये जिसके कारण भौतिक सत्यापन के बाद उस विद्यालय के सभी या कुछ प्रवेश सत्यापन दल द्वारा आरटीई के प्रावधानान्तर्गत नहीं मानते हुए पुनर्भरण योग्य नहीं ठहराये गये, ऐसे विद्यालयों में प्रवेशित दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, जबकि प्रवेश हेतु बर्तन करने में विद्यालय की लापरवाही रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बीईईओ के नियंत्रणाधीन संचालित गैर सरकारी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विरुद्ध आरटीई एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन करने, राज्य सरकार एवं विभाग के आदेश/निर्देश की अवहेलना करने एवं 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेशित बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करने के कारण तत्काल नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ करें तथा की गई कार्यवाही की समेकित रिपोर्ट (जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा की विद्यालयवार नामजद सूची सहित) दिनांक 28.10.13 तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के आरटीई अनुभाग में वाहक स्तर से भिजवाएं। संबंधित कार्यालय द्वारा निर्देशानुसार समयावधि में कार्यवाही कर सूचना सम्प्रेषित नहीं करने पर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

६०-
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1.निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उनके नियंत्रणाधीन जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को समयावधि में निर्देशानुसार कार्यवाही कर सूचना संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करने हेतु पाबन्द करने का श्रम करें।
- 2.उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा..... को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने परिक्षेत्र के अधीन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशानुसार कार्यवाही सम्पादित करने हेतु पाबन्द कर सूचना समय पर निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।
- 3.कार्यालय प्रति।

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर